UPBS010028882026

न्यायालय Adj F.T.C.I, Basti

पीठासीन अधिकारी– (SRI VIRAT SHIROMANI), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01869**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–883/2026

रौनक सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र रामनाथ सिंह,
निवासी–ग्राम गडहा गौतम, थाना–कप्तानगंज, जनपद–बस्ती।

..... **आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–97/2026
धारा–305(ए),331(4),317(2), बी०एन०एस०
थाना–कप्तानगंज, जिला–बस्ती।

दिनांक :–22.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **रौनक सिंह** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–97/2026, धारा– 305(ए),331(4),317(2), बी०एन०एस० थाना–कप्तानगंज, जिला बस्ती में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक–24.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2– प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि विजय बहादुर सिंह S/O सूर्यदेव सिंह ग्रापो० गडहा गौतम थाना कप्तानगंज जिला बस्ती का स्थायी निवासी हूँ। महोदय अवगत करना है कि दिनांक 21/04/2026 को रात्रि 2.00 बजे मेरे घर मे आंगन के रास्ते गांव का ही निवासी रौनक सिंह S/O रामनाथ सिंह ने घर में घुसकर एक सोने की चेन, एक अंगुठी व एक जोड़ी पायल चोरी करके भागने के दौरान मेरी नींद खुल गई और मैने व मेरी पत्नी ने प्रत्यक्ष रुप से रौनक सिंह को देखा, पकडने की कोशिश मे वो मुझे धक्का देकर छत के रास्ते घर के पीछे से कूदकर भागा जहां उसे अन्य प्रत्यक्ष दर्शियों ने भी देखा। पूर्व में भी उसके खिलाफ कई मामलों में संलिप्तता पाई गई है

3– जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी बेगुनाह बेकसूर है महज हैरान व परेशान करने की नीयत से वादी मुकदमा ने झूठे मुकदमा मे फर्जी तरीके से मुल्जिम बना दिया है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है और न ही निर्णीत ही किया गया है। प्रार्थी के दुश्मनों के इशारे पर अज्ञात मामले में अभियुक्त बनाया गया है प्रार्थी का कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नही रहा है प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नही किया गया हैं। न ही प्रार्थी के पास से कोई चोरी का वस्तु बरामद हुआ है। प्रार्थी को घर से पकडकर लाकर अज्ञात दर्ज मामले में अभियुक्त बनाकर चालान कर दिया। प्रार्थी का उपरोक्त घटना में कोई दूर–दूर तक शामिल होना नही है फिर भी प्रार्थी को फर्जी तरीके से मुकदमा में मुल्जिम बनाया गया हैं। प्रार्थी को फर्जी तरीके से

Digitally signed by VIRAT SHIROMANI
Date: 2026.06.23 07:14:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुकदमा मे फॅसाया गया है प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है दुश्मनो की साजिश का शिकार बनाया गया है। प्रार्थी कई दिनों से जिला कारागार में बन्द है। यह कि तथा कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही हैं। प्रार्थी बहुत ही गरीब परिवार का रहने वाला है। प्रार्थी जमानत पर छूटने के बाद बराबर न्यायालय हाजिर आता रहेगा। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नही करेगा प्रार्थी अपनी जमानत देने के लिए तैयार है। उपरोक्त कथन करते हुये प्रार्थी को उचित जमानत मुचलके पर रिहा करने की याचना की गयी है।

5– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत का घोर विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि अपराध गम्भीर प्रकृति का एक सामाजिक अपराध है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाय।

6– जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को मैंने विस्तारपूर्वक सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7– आवेदक/अभियुक्त पर यह अभियोग है कि उसने वादी मुकदमा के घर घुसकर एक सोने की चेन, एक अंगुठी व एक जोड़ी पायल चोरी करने का अपराध कारित किया है। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत मामले की चोरी की घटना चोरी हुई वस्तुएं प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद होना बताया जाता है। अभियुक्त दिनांक 24.04.2026 से जिला कारागार बस्ती में निरूद्ध है।

8– उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों, अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, जिला कारागार में उसकी निरूद्धता व केसडायरी में उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए इस न्यायालय के मत में मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त रौनक सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंध–पत्र तथा इसी धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन दौरान मुकदमा उसे जमानत पर रिहा किया जाता है :

1. यह कि अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
2. यह कि अभियुक्त समान प्रकृति का कोई अपराध नहीं कारित करेगा।
3. यह अभियुक्त दौरान विचारण देश की सीमा से बाहर नहीं जायेगा।
4. यह कि अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को न तो तोड़ेगा और न ही अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिये कोई उत्प्रेरणा, वचन व धमकी या प्रलोभन देगा।

दिनांकः–22.06.2026

विराट शिरोमणि
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित गति न्यायालय प्रथम, बस्ती।
JO CODE– UP1869